

अवल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधीनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) संपत्ति नियम 8(6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक मांग नोटिस जारी की गई थी तथा बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व ऋणी / बंधककर्ता / जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे दर्शायी गई सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणानुसार बड़ौदा यू.पी. बैंक अयोध्या के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी "जहाँ है जैसी है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है" के आधार पर नीलामी हेतु प्राप्त टेण्डरों में से सर्वाधिक राशि के टेण्डरों के पक्ष में की जायेगी।

जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (ओं) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अवल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को 28.03.2023 को या उससे पहले, बड़ौदा यू. पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली 29.03.2023 को समय दोपहर 02:00 बजे से 04:00 बजे तक खोली जाएगी। बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट के अधीन नियम 8(6) एवं 9(1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतवन्नी है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आसितियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/मालिक का नाम	मांग सूचना तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिव्यय प्रकार	बकाया धनराशि (रु०)	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि
शाखा: महरूआ गोला, सम्पर्क- 7839884325					
1.	श्री आशीष कुमार सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र प्रताप, ग्राम व पोस्ट- नसीरपुर पकड़पुर पोस्ट- नसीरपुर जिला- अम्बेडकर नगर जमानतकर्ता: (1) सुनील कुमार सिंह पुत्र श्री जगदीश नारायण सिंह, (2) प्रीता सिंह पत्नी दिनेश सिंह, पता दोनों के लिए- ग्राम एवं पोस्ट- नसीरपुर पाकड़पुर, जिला- अम्बेडकर नगर	भूमि एवं भवन का साम्यिक बंधक प्लॉट सं./मकान सं. 38एम दिनांक 09.07.2015 को सेल डीड सं. 3880/15 के जरिए खरीदा गया, स्थित ग्राम डड़वा कला (उदय नगर चौराहा), परगना अकबरपुर एवं तहसील- अकबरपुर, जिला- अम्बेडकर नगर, मालिक: श्री आशीष कुमार सिंह पुत्र वीरेन्द्र प्रताप चौहददी: (डीड के अनुसार): पूर्व: ईश्वर देई का प्लॉट, पश्चिम: मार्ग (सड़क पक्का), उत्तर- ग्राम सुभाखरपुर की सीमा, दक्षिण- श्री शिव दाता एवं अन्य का प्लॉट कुल क्षेत्रफल - 0.063 हेक्टेयर	22.06.2022 19.09.2022 सांकेतिक कब्जा	रु. 12,79,440/- + दिनांक 30.09.2018 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	51,15,000.00 5,11,500.00
2.	श्री प्रवेश कुमार पुत्र श्री अच्छे लाल, पता: ग्राम व पोस्ट हिड्डी पकरिया जिला- अम्बेडकर नगर जमानतकर्ता: 1. श्री जगन्नाथ यादव पुत्र हिद्या राम, ग्राम- खधारा, पोस्ट- सेमरी जिला अम्बेडकर नगर 2. श्री अवधेश कुमार पुत्र दया राम यादव, ग्राम हिड्डी पकरिया, पोस्ट- हिदी पकरिया, जिला- अम्बेडकर नगर	भूमि एवं भवन का साम्यिक बंधक प्लॉट सं./मकान सं. 384, दिनांक 22.09.2000 को सेल डीड संख्या 2414/2000 के जरिए खरीदा गया स्थित ग्राम भीखारीपुर, परगना मिश्रीरा एवं तहसील-भीटी, जिला- अम्बेडकर नगर, मालिक: श्री प्रवेश कुमार पुत्र अच्छे लाल चौहददी: (डीड के अनुसार): पूर्व- गुपाला का प्लॉट, पश्चिम: अकबरपुर से महरूवा गोला रोड, उत्तर: विक्रेता का शेष भाग, दक्षिण- विक्रेता का शेष भाग कुल क्षेत्रफल- 750 वर्गफीट या 69.7 वर्गमीटर	18.12.2021 12.05.2022 सांकेतिक कब्जा	रु. 3,03,143.00 + दिनांक 25.09.2018 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	12,23,000.00 1,22,300.00
3.	मेसर्स राजेश पुत्र श्री राम अवल गुप्ता, पता- ग्राम व पोस्ट महरूवा गोला जिला अम्बेडकर नगर जमानतकर्ता: 1. श्री राम सिंह पुत्र राम अवल गुप्ता, ग्राम- महरूवा गोला, पोस्ट- महरूवा गोला जिला- अम्बेडकर नगर 2. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री पन्नालाल यादव, ग्राम हरिनाथ पुर पोस्ट- महरूवा गोला जिला अम्बेडकर नगर	1. भूमि एवं भवन का साम्यिक बंधक प्लॉट सं./मकान सं. 469एम, दिनांक 28.04.1987 को सेल डीड सं. 2058/87 के जरिए खरीदा गया स्थित ग्राम महरूवा गोला, परगना मिश्रीरा एवं तहसील- भीटी, जिला अम्बेडकर नगर, मालिक: श्री राजेश पुत्र राम अवल चौहददी: (डीड के अनुसार): पूर्व: मिनमुकिर का प्लॉट, पश्चिम: तुलसी राम का प्लॉट, उत्तर: अकबर अली का प्लॉट, दक्षिण: चक रोड 2. भूमि एवं भवन का साम्यिक बंधक प्लॉट सं./मकान सं. 469एम, दिनांक 01.03.1993 को सेल डीड सं. 853/93 के जरिए खरीदा गया स्थित ग्राम महरूवा गोला, परगना मिश्रीरा एवं तहसील- भीटी, जिला अम्बेडकर नगर, मालिक: श्री राजेश पुत्र राम अवल चौहददी: पूर्व: बिफाई का प्लॉट, पश्चिम: तुलसी राम का प्लॉट, उत्तर: महादेव का प्लॉट, दक्षिण: चक रोड एवं राम नवल का प्लॉट कुल क्षेत्रफल- 1428 वर्गफीट या 132.7 वर्गमीटर	18.12.2021 12.05.2022 सांकेतिक कब्जा	रु. 5,24,046.00 + दिनांक 26.03.2021 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	14,97,000.00 1,49,700.00

शाखा: अन्नावा, सम्पर्क- 7839884276					
4.	1. मेसर्स सोनू केन क्रशर उद्योग (प्रोप. श्री सूर्यभानु वर्मा पुत्र श्री सियाराम वर्मा), ग्राम- दुल्लापुर, पीओ- कटेहरी जिला अम्बेडकर नगर 2. श्री सूर्यभानु वर्मा पुत्र श्री सियाराम वर्मा, ग्राम- दुल्लापुर, पीओ- कटेहरी जिला अम्बेडकर नगर जमानतकर्ता: 1. श्री संजय कुमार वर्मा पुत्र श्री राम सुंदर वर्मा, ग्राम व पीओ- अहिरीली, जिला अम्बेडकर नगर 2. श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी श्री सियाराम वर्मा, ग्राम दुल्लापुर, पीओ- कटेहरी जिला अम्बेडकर नगर	मकान /प्लॉट सं. 2972, सेल डीड सं. 1377/2012, दिनांक: 12.04.2012, क्षेत्रफल 461.38 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम प्रतापपुर, चामुखा, पोस्ट-कटेहरी, परगना-मिशीरा, तहसील- अकबरपुर, जिला- अम्बेडकरनगर, चौहददी: पूर्व- प्रभावती देवी का प्लॉट, पश्चिम- राम सूरत का प्लॉट, उत्तर- प्रभावती देवी का प्लॉट, दक्षिण: राम देव का प्लॉट मालिक: प्रभावती देवी पत्नी सियाराम वर्मा	12.09.2016 14.06.2017 सांकेतिक कब्जा	रु. 8,07,527.80 + दिनांक 01.07.2015 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	9,95,000.00 99,500.00

शाखा: अकबरपुर, सम्पर्क- 7839884272					
5.	श्रीमती मायावती पत्नी श्री राम मिलन, पता अब्दुल्लापुर, शहजादपुर, अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर	संपत्तियों / भूमि का साम्यिक बंधक, मकान सं. 15, प्लॉट सं. 455एम, पंजीकृत बिक्री विलेख सं. 3515 के माध्यम से दिनांक 07.10.2008 को खरीदा गया, स्थित ग्राम फतेहपुर पकड़ी, परगना व तहसील अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर, क्षेत्रफल- 1360 वर्ग फीट, संपत्ति के मालिक: श्रीमती माया वती पत्नी श्री राम मिलन, चौहददी: (डीड के अनुसार): पूर्व: हरी राम का प्लॉट, पश्चिम: कच्चा रास्ता, उत्तर: घनश्याम का मकान, दक्षिण: राम प्यारे का प्लॉट	30.08.2018 02.01.2019 सांकेतिक कब्जा	रु. 2,41,179/- + दिनांक 30.08.2018 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	22,89,000.00 2,28,900.00

शाखा: गोला बाजार, सम्पर्क- 7839884300					
6.	मेसर्स ब्रह्मदेव बाबा ब्रिक फौड, प्रोप. श्री उदय नारायण मिश्रा कानूनी वारिस: 1). उदय नारायण मिश्रा पुत्र श्री रंजीत मिश्रा 2). विजय नारायण मिश्रा पुत्र रंजीत मिश्रा 3). उमा शंकर मिश्रा पुत्र रंजीत मिश्रा	सम्पत्ति बंधक प्लॉट सं. 629एम, बिक्री विलेख सं. 1222 दिनांक 01.07.1985 क्षेत्रफल- 660 वर्गफीट स्थित ग्राम- नसीरपुर मूसी परगना- पश्चिमराठ, तहसील बीकापुर, जिला- अयोध्या चौहददी: (डीड के अनुसार): पूर्व: राम नारायण की जमीन-जायदाद, पश्चिम: राधा प्रकाश का विलिनिक, उत्तर: राधा मनहरण की ग्रोव भूमि, दक्षिण: लिंक रोड बिलारीमाफी-नंद्रौली मालिक: स्वर्गीय श्री रंजीत मिश्रा	10.10.2022 18.01.2023 सांकेतिक कब्जा	रु. 4,58,464.25 + दिनांक 10.10.2022 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	6,30,900.00 63,090.00

शाखा: मिश्रीडा, सम्पर्क- 7839884335					
7.	मेसर्स सिंह राइस मिल्स, प्रोप. श्री बलवन्त सिंह कानूनी वारिस: बलवन्त सिंह	सम्पत्ति बंधक प्लॉट सं. 307 बिक्री विलेख सं. 458/2012 दिनांक 18.05.2012, क्षेत्रफल 2690 वर्गफीट स्थित ग्राम रायमलपुर, पोस्ट सोनवा, परगना- मिश्रीडा, तहसील- भाटी, जिला अम्बेडकर नगर चौहददी: (डीड के अनुसार): पूर्व: सुरेंद्र एवं अन्य का प्लॉट, पश्चिम: मिश्रीरा से यादव नगर रोड, उत्तर: सुरेंद्र एवं अन्य का प्लॉट, दक्षिण: अर्जुन एवं अन्य का प्लॉट मालिक: श्रीमती राधिका देवी	18.12.2021 12.05.2022 सांकेतिक कब्जा	रु. 6,60,451.90 + दिनांक 15.04.2021 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	8,28,750.00 82,875.00

शाखा: जाफरगंज, सम्पर्क- 7839884308					
8.	मेसर्स नारायण कोल डिपो एण्ड बिल्डिंग मटेरियल, प्रोप: हीरावती मिश्रा, ग्राम मुबारकपुर मरैला, पोस्ट- लोरपुर टाउन, जिला अम्बेडकरनगर जमानतकर्ता: (1)श्री प्रमोद कुमार सिंह पुत्र श्याम बहादुर, (2) संतोष कुमार सिंह पुत्र क्षत्रपाल सिंह, पता दोनों के लिए: ग्राम एवं पोस्ट- देवगढ़, जिला- अयोध्या	साम्यिक बंधक- प्लॉट सं., सेल डीड सं. 2543/1980, दिनांक 21.07.1980, क्षेत्रफल 188 वर्ग मी० स्थित ग्राम मुबारकपुर मरैला परगना अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर चौहददी: (डीड के अनुसार): पूर्व: श्यामलाल, रामबरन, देवतादीन एवं मुखरी की गली एवं घर, पश्चिम: जगदंबिका प्रसाद एवं राम प्रसाद का प्लॉट, उत्तर: देवता दीन एवं अवतार का गली एवं घर, दक्षिण: माता प्रसाद एवं शिव शंकर का घर मालिक: नरसिंह नारायण एवं हृदय नारायण पुत्र राम बरन	13.10.2022 24.01.2023 सांकेतिक कब्जा	रु. 7,12,243/- + दिनांक 01.10.2022 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	10,82,050.00 1,08,205.00

शाखा: बाकरगंज, सम्पर्क- 7839884282					
9.	श्रीमती विद्यावती सिंह पत्नी श्री छत्र पाल सिंह, ग्राम व पोस्ट देवगढ़ जिला अयोध्या एवं श्री धर्मेश कुमार सिंह पुत्र छत्र पाल सिंह, ग्राम व पोस्ट देवगढ़ जिला अयोध्या	भूमि एवं भवन का साम्यिक बंधक प्लॉट सं. 405 मकान सं. 8रस, सेल डीड सं. 1113 दिनांक 02.03.2007, क्षेत्रफल- 70.58 वर्ग मीटर स्थित ग्राम दलीपपुर उर्फ देवगढ़, परगना- आमसिन तहसील- सदर, जिला- अयोध्या चौहददी: (डीड के अनुसार): पूर्व: रास्ता 10 फीट चौड़ा फिर छत्र पाल सिंह का प्लॉट, पश्चिम: क्षेत्रपाल सिंह का प्लॉट, उत्तर: इन्द्रजीत सिंह का मकान, दक्षिण: राम कैलाश सिंह का मकान मालिक: विद्यावती पत्नी श्री छत्र पाल	02.12.2019 25.09.2020 सांकेतिक कब्जा	रु. 10,54,028/- + दिनांक 30.11.2019 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	9,00,424.00 90,042.40

10.	मेसर्स रघुनंदन राइस मिल प्रोप. श्री राजेश कुमार वर्मा प्रोप. श्री महंती का पुरवा (समाईस), पोस्ट देवगढ़, अयोध्या जमानतकर्ता: श्री गया प्रसाद पुत्र श्री राम देव, ग्राम- महंती का पुरवा, समैसा, पोस्ट- देवगढ़, जिला-अयोध्या कानूनी उत्तराधिकारी: श्रीमती सुमित्रा देवी (पत्नी), रमेश कुमार वर्मा (पुत्र), राजेश कुमार वर्मा (पुत्र)	साम्यिक बंधक प्लॉट सं. 77, सेल डीड सं. 6920 दिनांक 27.12.2011, क्षेत्रफल- 1447.5 वर्ग फीट 131.73 वर्ग मीटर स्थित ग्राम हैबतपुर, परगना- हवेली अवध, तहसील- सदर, जिला- अयोध्या चौहददी: (डीड के अनुसार): पूर्व: रास्ता कच्चा 7 फीट, पश्चिम: राज कुमार वर्मा का घर, उत्तर: राज कुमार वर्मा का घर, दक्षिण: राम केवल वर्मा का घर मालिक: स्वर्गीय रघुनाथ वर्मा पुत्र राम सुंदर	15.02.2020 18.01.2021 सांकेतिक कब्जा	रु. 8,10,347/- + दिनांक 31.01.2020 से अप्रयुक्त ब्याज + अन्य खर्च	9,97,528.00 99,752.80
-----	---	--	--	--	--------------------------

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्ट और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में अयोध्या में देयगोय्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू. पी. के पक्ष में डीड / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य की 10% जमा / संतान करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष असफल बोलीदाताओं को ईएम जमा / संतान के अन्वय बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को नीलामी तिथि को ही बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली / सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निर्रक्षित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों / देनदारियों / भारों / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्के / दालों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। अतः कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आसितियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप- धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) संशोधन नियमों 2002 द्वारा (ओं) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपराध 2:00 बजे से साय 5:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानि <https://www.barodaupbank.in/sarfesinotice.php> देखें।

सर्फेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो उसे उचित ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांक: 17.02.2023 स्थान: अयोध्या प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक